भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3649

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 10 अगस्त, 2026

19 श्रावण,1948 (शक)

हासनाम्बा मंदिर में सुविधाओं में सुधार हेतु वित्तीय सहायता

3649. **श्री श्रेयस एम. पटेलः**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार की ओर से हासन जिले में हासनाम्बा मंदिर के संरक्षण, अवसंरचना विकास और तीर्थयात्री सुविधाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता की मांग संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मांगी गई राशि, प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा की गईकार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार की किसी योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों या मुजराई विभागों द्वारा प्रबंधित मंदिरों मेंअवसंरचना विकास, विरासत संरक्षण, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल, पार्किंग और तीर्थयात्री सुविधाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(घ) क्या सरकार का विचार हासनाम्बा मंदिर में विशेषकर वार्षिक दर्शन महोत्सव के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए वहां सुविधाओं में सुधार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य सरकार से ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए प्राप्त किसी प्रस्ताव पर विचार किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केक्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में 506 केंद्रीय संरक्षित स्मारक और स्थल हैं।इन सभी स्मारकों और स्थलों का संरक्षण, दिन-प्रतिदिन का रखरखाव और इनका अनुरक्षण,संरक्षणकीआवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

तथापि, हासनजिले में स्थितहासनाम्बा मंदिर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है। कर्नाटक सरकार से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग):भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,भारत सरकार से आवंटित बजट से अपने केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, रखरखाव और विकास का कार्य करता है। ये कार्यआवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के साथ-साथ अनुमोदित वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम के आधार पर किए जाते हैं।

पर्यटन मंत्रालय अपनी "राष्ट्रीयतीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद)" योजना के तहत, चुने गए तीर्थ स्थलों/धरोहर शहरों में पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को आर्थिक मदद देता है। प्रसादयोजना के तहत तीर्थ स्थलों/धरोहर स्थलों का चयन, कई मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इन मानदंडों में वहां आने वाले लोगों की संख्या, स्थानों का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धरोहर के तौर पर महत्व, देश भर में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रतिनिधित्व और अन्य तत्व शामिल हैं। यह प्रक्रिया राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से परामर्श करके पूरी की जाती है।
वर्तमान में,प्रसादयोजना के तहत हासनांबा मंदिर के विकास के लिए कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ड.):हासनाम्बा मंदिर में,विशेष रूप से मंदिर में आने वाले भक्तों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए,सुविधाओं में सुधार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणकोऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
